राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकः एफ 5(1) आ.प्र. एवं स.आ./गौशाला अनुदान/2015/ 7337-49 जयपुर,दिनांकः 8.6.15

जिला कलेक्टर,(सहायता)
जैसलमेर (राज0)।

विषयः— अभाव संवत् 2071 में खरीफ खराबा रिपोर्ट के आधार पर घोषित अभावगग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त एवं गैर अभावग्रस्त क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को 90 दिवस से अधिक अवधि हेतु अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।

सन्दर्भः— आपका पत्र कमांक 6033 दिनांक 01.6..2015 के कम में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क. एफ1(1)(4) आ.प्र.सआ/ सामान्य/ 2014/ 10908—44 दिनांक 19.10.2014 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया था। यह अवधि 31.07.2015 तक प्रभावी रहेगी। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है अभाव संवत् 2071 में अभावग्रस्त क्षेत्रों एवं गैर अभावग्रस्त में स्वीकृत पंजीकृत गौशालाए, जिनकी अवधि राज्य आपदा मोचन निधि में अनुमत 90 दिवस पूर्ण कर ली गई है उन पंजीकृत गौशालाओं द्वारा संधारित बडे एवं छोटे पशुओं हेतु 90 दिवस से अधिक अवधि के लिए अनुदान स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव संचालित संस्था द्वारा निर्धारित शर्तो की पालना सुनिश्चित शपथ पत्र के साथ लेने की अनुशंसा पत्र दिनांक 01.06.15 के आधार पर एवं भारत सरकार के पत्रांक 32—3/2013—NDM-I दिनांक 28.11. 2013 के द्वारा जारी संशोधित SDRF/NDRF मानदण्डो के बिन्दु सं. 6(ii) के अनुसार अभाव संवत् 2071 में आपके जिले की निम्न पंजीकृत गौशालाओं द्वारा संधारित बड़े एवं छोटे पशुओं हेतु अनुदान **जारी दिनांक से 30 जून 2015 तक** स्वीकृत करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

क्र. सं.	तहसील का नाम	पंजीकृत गौशाला का नाम	गौशालाओं में संधारित पशुओं की संख्या		
			बड़े पशु	छोटे पशु	योग
1	खेतोलाई	श्री लक्ष्मी गौशाला खेतोलाई	270	30	300
			270	**30**	**300**

इसी अनुकम में निम्न दिशा—निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जावें:—

1 **अनुदान दरः** —
गौशालाओं द्वारा संधारित पशुओं के बड़े पशु हेतु 50/— रूपये तथा छोटे पशु हेतु 25/— रूपये प्रति पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान देय होगा।

2. **पशु आहार–**

(i) निर्धारित दर से अनुदान उसी स्थिति में स्वीकृत किया जावे, जबकि गौशाला संचालको द्वारा संधारित किये जा रहे पशुओं को चारे के साथ–साथ क्रमशः 1 कि.ग्रा. पशु आहार बड़े पशुओं हेतु तथ 1/2 कि.ग्रा. पशु आहार छोटे पशुओं को उपलब्ध कराया जाता है। यदि निर्धारित दर पर पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो पशु आहार की राशि क्रमशः 11/– रूपये बड़े पशु तथा 5.50 रूपये प्रति छोटे पशु के हिसाब से अनुदान बिलों से काटी जाकर शेष रही राशि ही अनुदान स्वरूप स्वीकृत की जावे।

(ii) आर.सी.डी.एफ/राजफैड द्वारा निर्मित एवं राजफैड/आरसीडीएफ द्वारा क्रय कर आपूर्ति किया गया पशु आहार उपलब्ध कराये जाने पर ही अनुदान देय होगा।

3. **निरीक्षण मापदण्ड** :–

अनुदान हेतु अनुमत सभी गौशालाओं का माह में एक बार जिले में पदस्थापित विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जावें। निरीक्षण के लिए न्यूतम मापदण्ड निम्न प्रकार से निर्धारित हैः–

क्र. स.	नम अधिकारी	न्यूनतम निरीक्षण	कार्य क्षेत्र
1.	तहसीलदार/विकास अधिकारी	25 प्रतिशत	तहसील/ पं. समिति
2.	उपखण्ड अधिकारी	10 प्रतिशत	उपखण्ड
3.	अति. जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सम्मिलित रूप से)	5 प्रतिशत	जिला
4.	जिला कलक्टर	यथासम्भव अधिकाधिक	जिला
5.	पशुपालन/चिकित्सा के आधिकारी	प्रत्येक गौशाला, माह में 2 बार	तहसील/ पं. समिति

4. **अनुदान की देयता**:–

यहा भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी पंजीकृत गौशाला जिसके द्वारा पशुओं का संधारण किया जा रहा है, उसके लिए जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त ही अनुदान राशि देय होगी।

(i) ऐसी पंजीकृत गौशालाओं की संचालन समिति में जिला कलेक्टर द्वारा सदस्य के रूप में एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जावे तथा यह निर्देशित किया जावे कि गौशाला संचालन समिति की प्रत्येक बैठक की दिनांक की सूचना ऐसे प्रतिनिधि को समय पर दी जावे एवं वित्तीय प्रकृति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय उसी बैठक में लिये जावे, जिसमें जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो ।

(ii) गौशाला के लेखे जोखे सही एवं भली प्रकार से संधारित कराये जावें। गौशालओं में निम्न लिखित रजिस्टरों का संधारण कराया जावें।:–

क. खरीद एवं स्टाक रजिस्टर

ख. पशुओं का रजिस्टर

ग. दैनिक खर्च रजिस्टर

घ. दैनिक खर्च का हिसाब

(iii) जिला कलेक्टर, जिला पशु पालन अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय समय पर गौशालाओं का निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि गौशलाओं के पशुओं का सही प्रकार से पोषण किया जा रहा है।

5. **भुगतानः–**

गौशला द्वारा सरंक्षित किये जा हे पशुओं की संख्या का प्रमाणीकरण सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा कियें जाने के उपरान्त ही, गौशाला द्वारा प्रस्तुत मासिक बिलों के आधार पर अनुदान दिया जावे।

6. **पशु संख्याः–**

गौशालाओं के पशुओं की संख्या सक्षम अधिकारी, कम से कम उपखण्ड अधिकारी स्तर के अधिकारी से निरीक्षण व भौतिक सत्यापन के पश्चात पशुओं के लिए अनुदान हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि स्वीकृति के आदेश समय पर ही जारी किये जा सके।

7. **पशु संख्या में बढोतरी** :–

विगत वर्षो में यह देखा गया है कि जिला कलेक्टर द्वारा सूचित संख्या के आधार पर गौशाला अनुदान की स्वीकृति जारी की गई । उक्त संख्या बिना सक्षम अधिकारी के निरीक्षण के आधार पर बताई गई। गौशालाओं के पशुओं में वृद्धि होने की दशा में कम से कम तहसीलदार स्तर के अधिकारी से निरीक्षण व भौतिक सत्यापन के पश्चात् ही आगामी माह की 20 तारीख से पूर्व तक बढे हुए पशुओं के लिए अनुदान हेतु प्रस्ताव आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें,ताकि बढी हुई संख्या के आधार पर स्वीकृति आदेश समय पर जारी किये जा सके।

8. किसी भी संचालक संस्था जिसके माध्यम से पशु शिविर, चारा डिपो या गौशाला संचालित की जा रही है, उनके खिलाफ कोई जांच विचाराधीन है तो उन संस्थाओं की जांच के निस्तारण उपरान्त इन संस्थाओं के प्रस्ताव अभाव अवधि में ही प्रेषित करें।

9. यह सुनिश्चित किया जाये कि जिन गौशालाओं की अवधि 90 दिन पूर्ण होने पर उन्हीं पशुओं को अन्य संस्था के नाम से या गौशालाओं के माध्यम से नही खोले जा रहे हैं। अपनी संतुष्टि के उपरांत ही आवश्यक होने पर ही गौशालाओं की स्वीकृति दी जाये।

10. पंचायत/संस्था का नाम अंकित कर स्वीकृति जारी करते समय स्थल का नाम भी अंकित करावें।

11. जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित गौशाला के लिए स्वीकृति जारी करते समय सम्बन्धित संचालक संस्था से एक शपथ–पत्र लिया जायें।(संलग्न शपथ–पत्र का प्रारूप 10 रूपये नोन जूडिशियल स्टाम पेपर पर)

12. स्वीकृत गौशालाओं का मुख्यालय/जिला कलेक्टर द्वारा आकस्मिक निरक्षण/ विडियो ग्राफी की जा सकेगी। आकस्मिक निरीक्षण में अनियमितता पायी जायेगी तो सम्बन्धित संस्था/संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध कानूनी/विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।

13. 90 दिवस से अधिक अवधि के लिए संचालित की जाने वाली गौशालाओं हेतु प्रत्येक कार्यालय में पृथक–पृथक पत्रावलीया खोली जाऐगी। एवं इस से सम्बन्धित अन्य रिकार्ड पृथक से संधारित करते हुए पृथक रजिस्टर खोले जाएगें। संचालक संस्था के स्तर पर भी पृथक रिकार्ड व रजिस्टर भी खोले जायेगें।

14. 90 दिवस से अधिक अवधि हेतु संचालित होने वाली गौशालाओं पर होने वाला व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत उसी सम्बन्धित बजट मद पर प्रभार्य किया जायेगा, जिस मद पर पूर्व में अभाव सम्वत 2071 में खरीफ फसल खराबें के समय किया गया है। परन्तु

उससे सम्बन्धित लेखा संधारण पृथक से किया जायेगा एवं ऑनलाइन बजट मांग करते समय भी 90 दिवस से अधिक अवधि हेतु मांग होने का उलेख किया जाये।

15. स्वीकृति जारी करने पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि यह गौशालाऐ ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में नही आती है।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

5/6/15

शासन सचिव

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0., जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग,राज.,जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव पशुपालन एवं प्रबन्ध निदेशक, आरसीडीएफ, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
7. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर ।
8. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
9. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
10. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
11. गार्ड फाईल।

शासन संयुक्त सचिव